"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 130]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 2 जून 2009—ज्येष्ठ 12, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मार्च, 2009

आदेश

क्रमांक 1702/676/21-ब/2009.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 15 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री रामराय भारद्वाज (निम्न न्यायिक सेवा के सदस्य) वर्तमान पदस्थापना सिविल न्यायाधीश वर्ग-1, रामानुजगंज को 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के कारण दिनांक 21-03-09 से सेवानिवृत्त (अनिवार्य) करता है.

Raipur, the 3rd March 2009

ORDER

No. 1702/676/XXI-B/2009.—In exercise of the powers conferred by proviso of Rule 15 (1) of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Services) Rules, 2006 and on the recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, the State Government of Chhattisgarh hereby retire's (Compulsorily) Shri Ram Rai Bharadwaj (Member of Lower Judicial Service) presently posted as Civil Judge Class-I, Ramanujganj, from service w. e. f. 21-03-2009 on completion of his 58 years.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.